संख्या-426(3)/तीन-2019-जी0आई0-34/16

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2019**

विषय: जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-605/तीन-5(22)/87-सा0प्र0अनुभाग, दिनांक 16 मार्च, 1989 के अनुसार श्री राज्यपाल, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के अन्तर्गत उत्तम जीवन रक्षा पदक से पुरस्कृत पेटी आफिसर भानुचन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री रत्नाकर पाण्डेय, निवासी 144 खत्रीटोला तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ को धनराशि रू 2,000/- (दो हजार मात्र) एवं अन्य सुविधाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के ''लेखाशीर्षक-2075-800-अन्य व्यय-04-जीवन रक्षा श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार-42 अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

(2) जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। सम्बंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-426(4)/तीन-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव (प्रोटोकाल), महाराष्ट्र सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुम्बई-400032 को उनके पत्र संख्या-Purskar/1018/Cr 92/31 दिनांक 22-02-2019 के क्रम में।

5- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ, उ0प्र0।

6- कोषाधिकारी, आजमगढ़।

7- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता (पेटी आफिसर भानुचन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री रत्नाकर पाण्डेय, निवासी 144 खत्रीटोला तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़) ।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

हरीराम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 001-gad1/365 **आवंटन तिथिः** 25/07/2019

कोषागारः 34- आजमगढ़ **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183-

जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01--

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः 2075- विविध सामान्य सेवायें

800- अन्य व्यय

04 - जीवन रक्षा श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागारः आजमगढ़ **(धनराधि रूपये में)**

मानक मद	**पूर्व आवंटन**	**वर्तमान आवंटन**	**प्रगामी आवंटन**
42- अन्य व्यय	0	2000	2000
योगः	0	2000	2000

हरीराम

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in